रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2012/अग्रहायण 21, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 213
No. 200] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012/AGRAHAYANA 21, 1934 [N.C.T.D. No. 213

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

फा. सं. 21(15)/2012/वि.स.स.-IV/वि./10900.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (15) 2012

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (चौथा संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित किया गया)

अनुबंध 'क'

2012 का विधेयक संख्या 15

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (चौथा संशोधन) विधेयक, 2012

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में पुनः संशोधन करने हेतु एक विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जायेगा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

2. धारा 2 का संशोधन.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम रूप में संदर्भित), की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (य घ) में उप-खंड (vii) के पश्चात्;

(क) व्याख्या से पूर्व आए परन्तुक हटाए जाएंगे।

(ख) "व्याख्या", को "व्याख्या-1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, इस प्रकार पुनः संख्यांकित व्याख्या-1 के बाद "व्याख्या-2" सन्निविष्ट की जाएगी :—

"व्याख्या-2 डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री के लिये तेल विपणन कम्पनियों द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य राशि उस मूल्य के समकक्ष समझी जाएगी जिस दर पर खुदरा बिक्री केंद्र इन वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचेंगे।

3. धारा 36क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 36क में,—

(i) उपधारा (1) में, "का" शब्द के पश्चात् तथा "प्रतिशत" शब्द से पूर्व आए शब्द "दो" के स्थान पर "चार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उपधारा (1) में, परन्तुक को हटाया जायेगा।

(iii) उपधारा (1क) में, "के लिये" शब्द के पश्चात् तथा "प्रतिशत" शब्द से पूर्व आए शब्द "दो" के स्थान पर "चार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उपधारा (1क) में, परन्तुक को हटाया जायेगा।

4. **धारा 58क का संशोधन** :– मूल अधिनियम की धारा 58क में,–

(i) उपधारा (1) में, "यदि" शब्द तथा चिह्न के पश्चात् आये "इस अधिनियम के अन्तर्गत, कार्यवाही के किसी स्तर पर" शब्दों को हटाया जायेगा।

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

(2)"उपधारा (1) के अन्तर्गत अभिलेख की जाँच तथा लेखा परीक्षा एवं इससे प्रासंगिक व्यय (लेखाकार या लेखाकारों के पैनल या व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल के पारिश्रमिक सहित) आयुक्त द्वारा ज्ञात करके भुगतान किया जाएगा तथा यह निर्धारण अंतिम होगा।"

5. **धारा 95 का संशोधन** :– मूल अधिनियम की धारा 95 में,–

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"व्यापारी, व्यवसाय के प्रबंधक का नाम, स्थायी लेखा संख्या तथा आईईसी (आयात निर्यात कोड) की घोषणा करेगा",

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

(3) "इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये आवेदन करते समय प्रत्येक व्यापारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत प्राप्त स्थाई लेखा संख्या का उल्लेख करेगा।

उपबंध है कि अधिनियम के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत व्यापारी संशोधन की अधिसूचना के दो माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत प्राप्त स्थाई लेखा संख्या (पैन) सूचित किया जाएगा।

(3क) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी और विदेश व्यापार (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) के अन्तर्गत आईईसी (आयात निर्यात कोड रखने वाला) प्रत्येक व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये आवेदन करते समय आईईसी (आयात निर्यात कोड़) का उल्लेख करेगा,:

उपबंधित है कि अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत व्यापारी और विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्या 22) के अन्तर्गत आईईसी आयात निर्यात कोड रखने वाले व्यापारी इस संशोधन की अधिसूचना के दो माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विवरण सूचित करेगा:

आगे उपबंधित है कि अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियम), अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) के अन्तर्गत आईईसी (आयात निर्यात कोड) प्राप्त करता है, वह बाद में आईईसी प्राप्त करने के पंद्रह दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आईईसी विवरण उपलब्ध कराएगा।"

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(4) "जो व्यक्ति घोषणा पत्र या इस धारा के उपधारा (1) और उपधारा (2) मे यथा उपबंधित संशोधित घोषणा पत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करने में विफल रहता है या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत स्थाई लेखा संख्या (पैन) का विवरण, जैसा इस धारा की उपधारा (3) में यथा उपबंधित है, उपलब्ध कराने में विफल रहता है या विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) के अन्तर्गत आईईसी (आयात निर्यात कोड) उपलब्ध कराने, जैसा इस धारा की उपधारा(3क)में उपबंधित है, में विफल रहता है। चूक करने पर एक हजार रुपये प्रति सप्ताह अधिकतम पचास हजार रुपये के बराबर राशि अर्थ दंड के रूप में भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा।"

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

इस धारा की उपधारा के अन्त में आई व्याख्या से पहले जोड़े गए परन्तुक को हटाने के लिए धारा 2 का संशोधन अभीष्ट है। मई, 2012 में पेट्रोल के बढ़े मूल्यों पर वैट की लेवी में छूट देकर राहत दी गई थी चूंकि मूल्य वृद्धि को हाल ही में कई बार पेट्रोल मूल्यों में कटौतियों के परिणामस्वरूप लगभग दूर किया जा चुका है।

धारा 36क (1) और धारा 36क (1क) का संशोधन, निर्माण कार्य संविदा व्यापारियों के स्रोत पर कर कटौती की दर में वृद्धि करना चाहता है लेकिन यह व्यापारी के दायित्व को नहीं बढ़ाएगा। कुछ अन्य राज्यों की भाँति टीडीएस बढ़ा है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक ठेकेदार अपने उचित दायित्व को निभाने के लिए आगे आएंगे। तथापि, टीडीएस दर में वृद्धि, कर की दर में वृद्धि के समान नहीं होगी। इस समय निर्माण कार्य संविदा गतिविधि में कार्यरत व्यापरियों के संबंध में कर कटौती की दो दरें (अर्थात् पंजीकृत व्यापारियों के लिए 2प्रतिशत और गैर पंजीकृत व्यापरियों के लिए 4प्रतिशत) हैं। उक्त प्रयोजन की प्राप्ति के लिए 4प्रतिशत की दर पर टीडीएस बनाकर दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में संशोधन करना प्रस्तावित है।

बाहरी पेशेवरों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा कराकर पारदर्शिता लाने के लिए तथा विशेष लेखा परीक्षा के व्यय के भुगतान की व्यवस्था व्यापारियों के स्थान पर अब विभाग द्वारा करके, व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए धारा 58क (1) और धारा 58क(2) का संशोधन प्रस्तावित है।

जीएसटी की भावी व्यवस्था के साथ हमारी पंजीकरण प्रणाली को पूर्व अनुकूल बनाने की व्यवस्था हेतु धारा 95 का संशोधन प्रस्तावित है, सभी टिन संख्या पैन संख्या पर आधारित होगी।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

शीला दीक्षित

शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

नई दिल्ली :

दिनांक :

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (चौथा संशोधन), 2012 में किसी प्रकार की वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य सवंर्धिक कर (चौथा संशोधन) विधेयक, 2012 में अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2012

F. No. 21(15)/2012/LAS-IV/Leg./10900.—The following is published for general information :—

Bill No. 15 of 2012

The Delhi Value Added Tax (Fourth Amendment) Bill, 2012

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 12th December, 2012)

ANNEXURE 'A'

Bill No. 15 of 2012

THE DELHI VALUE ADDED TAX (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

4578 DE/12-2

2. Amendment of section 2. – In the Delhi Value Added Tax Act, 2004, (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), in sub-clause (vii), -

(a) the provisos before the *Explanation* shall be omitted.

(b) the *'Explanation.'* shall be numbered as *'Explanation.-1'*, after *'Explanation.-1'* so re-numbered, *'Explanation.-2'* shall be inserted, namely :-

"Explanation.-2 The amount received or receivable by oil marketing companies for the sale of diesel and petrol shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets will sell these commodities to the consumer."

3. Amendment of section 36A. - In the Principal Act, in section 36A,-

(i) In sub-section (1), for the word 'two' occurring after the word 'of' and before the word 'percent' the word 'four' shall be substituted.

(ii) In sub-section (1), proviso shall be omitted.

(iii) In sub-section (1A), for the word 'two' occurring after the word 'to' and before the word 'percent' the word 'four' shall be substituted.

(iv) In sub-section (1A), proviso shall be omitted.

4. Amendment of section 58A.- In the Principal Act, in section 58A,-

(i) In sub-section (1), the words "at any stage of the proceeding under this Act," occurring after the word "If," shall be omitted.

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) The expenses of, and incidental to, the examination and audit of records under sub-section (1), (including the remuneration of the accountant or a panel of accountants or professional or panel of professionals) shall be determined and paid by the Commissioner and that determination shall be final."

5. Amendment of section 95.- In the Principal Act, in section 95, -

(i) for the title the following shall be substituted, namely :-

"Dealer to declare the name of manager of business, Permanent Account Number and IEC (Importer Exporter Code)",

(ii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely :-

(3) "Every dealer at the time of applying for registration under this Act shall mention the Permanent Account Number (PAN) obtained under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961):

PROVIDED that the dealers already registered under the Act shall intimate Permanent Account Number (PAN) obtained under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in the prescribed form, within two months of notification of the amendment.

(3A) Every dealer liable to pay tax under this Act and having an IEC (Importer Exporter Code) under The Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), shall mention the IEC (Importer Exporter Code), at the time of applying for registration under this Act, :

PROVIDED that the dealers already registered under the Act and having IEC (Importer Exporter Code) under the Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) shall intimate the details in the prescribed form, within two months of notification of this amendment :

PROVIDED FURTHER that every dealer registered under the Act, who obtains an IEC (Importer Exporter Code) under the Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), subsequently shall provide the IEC details in the prescribed form, within 15 days of obtaining the IEC."

(iii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely :-

(4) "Any person who fails to furnish a declaration or, as the case may be, a revised declaration as provided in sub-section (1) and sub-section (2) of this section or fails to provide details of the Permanent Account Number obtained under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), as provided in sub-section (3) of this section or fails to provide the IEC (Importer Exporter Code) under The Foreign Trade (Development And Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) as provided in sub-section (3A) of this section, shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rupees one thousand per week of default subject to a maximum of fifty thousand rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment of Section 2 intends to delete the Proviso added before the Explanation occurring at the end of sub-section (1) of this section, which was to give relief by exempting levy of VAT on the increased price of petrol in May, 2012, as the increase has been almost done away with as a result of reductions in the petrol prices in recent times.

Amendment of Section 36A(1) and 36A(IA) intends to increase the rate of deduction of tax (TDS) of works contracts dealers but it shall not tantamount to increase in liability of the dealer. TDS is increased like some other States. As a result of this amendment more and more contractors would come forward to disclose their correct liability. However, the increase in TDS rate would not tantamount to increase in rate of Value Added Tax (VAT). At present there are two rates (i.e. two percent for registered dealers and four percent for unregistered dealers) of deduction of Tax (TDS) in respect of dealers engaged in works contract activity. In order to achieve the above purpose, it is proposed to amend the DVAT Act, 2004 to make TDS at the rate of four percent.

Amendment of Section 58A(1) and 58A(2) is proposed to provide for transparency in the conduct of special audit by outside professionals and to provide relief to dealers by providing for payment of expenses of special audit by the Department instead of dealers.

Amendment of Section 95 is proposed to provide for making our registration system pre-compliant with the future regime of GST where all TIN Number shall be based on PAN Number.

The Bill seek to achieve the aforesaid objectives.

Sheila Dikshit

(SHEILA DIKSHIT)

CHIEF MINISTER / FINANCE MINISTER

NEW DELHI

DATED

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Fourth Amendment) Bill, 2012 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Fourth Amendment) Bill, 2012 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

P. N. MISHRA, Secy.

4578 Dy/12-3

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

फा. सं. 7(25)/राजस्व/जी.ए./राज. श./तह./2012/2674.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 589 दिनांक 30-10-2012 के संदर्भ में श्री प्रवीण कुमार, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 1-11-2012 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (मुख्यालय) का कार्यभार संभाल लिया है । अतः :—

1. फा. सं. 7(25)/राजस्व/जी.ए./राज. श./तह./2012/2674(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की उप-धारा 27/1/**बी** (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा **श्री प्रवीण कुमार, ग्रेड-1 (दास)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2. फा. सं. 7(25)/राजस्व/जी.ए./राज. श./तह./2012/2674(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा **श्री प्रवीण कुमार, ग्रेड-1 (दास)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. फा. सं. 7(25)/राजस्व/जी.ए./राज. श./तह./2012/2674(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एंव विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा **श्री प्रवीण कुमार, ग्रेड-1 (दास)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. फा. सं. 7(25)/राजस्व/जी.ए./राज. श./तह./2012/2674(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा **श्री प्रवीण कुमार, ग्रेड-1 (दास)** को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (राजस्व)/
उपायुक्त (मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2012

F. No. 7(25)/Rev./GA/Rev. P./Teh./2012/2674.—In pursuance of Services Department's Order No. 589 dated 30-10-2012, Sh. Parveen Kumar, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Headquarter), on 1-11-2012 (F/N). Now, therefore :—

F. No. 7(25)/Rev./GA/Rev. P./Teh./2012/2674(i).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Parveen Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

F. No. 7(25)/Rev./GA/Rev. P./Teh./2012/2674(ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Parveen Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

F. No. 7(25)/Rev./GA/Rev. P./Teh./2012/2674(iii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Parveen Kumar, Grade-I (DASS) as Consolidation Officers in the said territory for the purpose of the aforesaid Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

F. No. 7(25)/Rev./GA/Rev. P./Teh./2012/2674(iv).—In exercise of the powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Parveen Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)/
Dy. Commissioner (HQ)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

फा. सं. 16(334)/श. वि./डब्ल्यू./2012/965.—दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड के दिनांक 13-1-2012 के सक्षम प्राधिकारी आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के अधीन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आवश्यक भर्ती तथा पदोन्नति विनियम इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक के पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड, **कार्यालय अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति** विनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :– ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 01 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3 **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति :–

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. **नियमित सेवा** :– किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अवधि या अवधियां जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् दी गई है तथा इसमें वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित होगी जिसके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड ड्यूटी पद धारित है लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा की स्थिति में ऐसे पद को धारण करने के लिए अवधि उपलब्ध नहीं होगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

8. **बचाव:**– इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. **निरसन:**– दिल्ली प्रशासन अधिसूचना फा0 16(123)/श0वि0/डब्ल्यू/2000/9366 दिनांक 28.7.2006 इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह अधिक्रमण की गई मान ली जाएगी।

अनुसूची

कार्यालय अधीक्षक के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	कार्यालय अधीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	82 * (2012) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ख'
4.	पे बैंड/ग्रेड पे/वेतनमान	:	पीबी–2 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4600/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा

4578 04/12-4

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	**पदोन्नति :–** ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित 4200/–रुपये के ग्रेड पे में 9300–34,800/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–2 में मुख्य लिपिक जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से प्रशासनिक मामलों में 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टीप:**– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर **पदोन्नति** के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
			टीप 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिये "ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :– 1. निदेशक (प्रशासन व कार्मिक), अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, राजस्व सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल) सदस्य
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एस. राठौर, विशेष सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2012

F. No. 16(334)UD/W/2012/965.—The following Recruitment and Promotion Regulations made by the Delhi Water Board under caluse (m) of sub-section (2) of Section 109 read with Sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998) *vide* Competent Authority orders dated 13-1-2012 necessary for appointment to the post of Office Superintendent in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information.

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF OFFICE SUPERINTTENDENT IN DELHI JAL BOARD,DELHI.

1. Short title and commencement: - (1) These regulations may be called the Office Superintendent in Delhi Jal Board, Recruitment and Promotion

Regulations, 2012. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application :- They shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. Number of posts, classification and scale of pay:- The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications: - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Dis qualifications: - No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living ; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person;

shall be eligible for appointment to the said post.-

Provided that the Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Regular service :- " Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

4578 DS/12-5

7. Power to Relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving :- Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Repeal:- Delhi Administration Notification F. 16(123)/UD/W/2000/9366 dated 28/7/2006 is superseded from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF OFFICE SUPERINTENDENT

Name of the post	No.of posts	Classification	Pay Band &Grade Pay/Pay scale	Whether selection or Non selection post	Age limit for direct Recruits	Educational & other Qualification required for Direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/ absorption is to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Office Superintendent	82*(2012) subject to variation dependent on workload	Category B	PB-2 Rs.9300-34,800 (Grade Pay of Rs.4600)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion Head Clerk in pay band-2 Rs.9300-34,800 with Grade Pay of Rs.4200 with 05 years regular service in the grade and having undergone 10 day training in admnistrative matters from the Delhi Jal Board institute. Note 1.Where juniors who have completed their qulaifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less and have sucessfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. Note 2.For the purpose of computing minimum qualifyig service for promotion. The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay /pay saclae extended based on the recommendations of the pay commission	Group "B" DPC (for considering promotion) 1.Director (A&P) –Chairman 2.-Joint Director of Revenue- Member 3.-Assistant Commissioner(W)-Member	Consultation with UPSC not necessary

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

S. S. RATHOR, Spl. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.